न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
36/2016/प्रा.पत्र/2016	12.04.2016	25.07.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र मिश्रीलाल जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक निवासी 24 जय हनुमान कॉनोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक
2– मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक
3–श्री बृजेश गर्ग पुत्र प्रकाश चन्द गर्ग एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी बंजारा मोहल्ला केकडी जिला अजमेर राज0
4– मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0
5–श्री गोविन्द सेठिया पुत्र रामस्वरूप सेठिया मैनेजर/पार्टनर मैसर्स दीपक फूड प्रोडक्ट्स ग्राम हलेड जिला भीलवाडा राज0 निवासी जी 247/9 वैभव नगर शास्त्री भीलवाडा
6–श्रीमति राधा देवी सेठिया पत्नि गोविन्द सेठिया मैनेजर/पार्टनर मैसर्स दीपक फूड प्रोडक्ट्स ग्राम हलेड जिला भीलवाडा राज0 निवासी जी 247/9 वैभव नगर शास्त्री भीलवाडा
7– मैसर्स दीपक फूड प्रोडक्ट्स ग्राम हलेड जिला भीलवाडा राज0 निवासी जी 247/9 वैभव नगर शास्त्री भीलवाडा

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (iv) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी संख्या 1 की और से श्री प्रमोद शर्मा अभिभाषक एंव अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 25.07.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.09. 2015 को समय 1.42 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से कैलाश चन्द जैन पुत्र मिश्रीलाल जैन जाति महाजन एफ.बी. ओ. मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक निवासी 24 जय हनुमान कॉनोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे 500–500 ग्राम के 46 नग दुकान की रैक मे **मिक्सर नमकीन कृष्णा पॉली पैक (Mixture Namkeen Krishna poly pack)** रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री कैलाश चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कैलाश चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 46 नगो मे से 500–500 ग्राम के ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 4 नग पैक कुल 2 किलोग्राम **मिक्सर नमकीन कृष्णा पॉली पैक (Mixture Namkeen Krishna poly pack)** वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 863
टोंक

Scanned by CamScanner

कीमत एफ.बी.ओ. श्री कैलाश चन्द जैन को रू0 132/–अक्षरे एक सौ बत्तीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिक्सर नमकीन कृष्णा पॉली पैक (Mixture Namkeen Krishna poly pack)** 4 नग मूल पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम पैक को ज्यो का त्यो चार भाग तैयार कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रखकर प्रत्येक डिब्बो को एयर टाइट बंद कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1115 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1115 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. केलाश चन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री कैलाश चन्द जैन ने मौके पर **मिक्सर नमकीन कृष्णा पॉली पैक (Mixture Namkeen Krishna poly pack)** बतोर वारन्टी मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0 का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. 6508 दिनांक 21.09.2015 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0 ने मैसर्स दीपक फूड प्रॉडक्ट्स ग्राम हलेड जिला भीलवाडा राज0 का बिल क्रमांक 338 दिनांक 05.09.2015 के वारंटी बिल की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4324 दिनांक 20.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/642/एक्ट/2015/642 दिनांक 09.10.2015 अनुसार कैलाश चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मिक्सर नमकीन कृष्णा पॉली पैक (Mixture Namkeen Krishna poly pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3 (1) (zf) (c)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **मिक्सर नमकीन कृष्णा पॉली पैक (Mixture Namkeen Krishna poly pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 3 ता. 7 द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्सर नमकीन कृष्णा पॉली पैक (Mixture Namkeen Krishna poly pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्सर नमकीन कृष्णा पॉली पैक (Mixture Namkeen Krishna poly pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक
864

(मोहर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र मिश्रीलाल जैन जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक निवासी 24 जय हनुमान कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक पर शास्ती 3,000/– (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री बृजेश गर्ग पुत्र प्रकाश चन्द गर्ग एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री कृष्णा एजेन्सीज महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी बंजारा मोहल्ला केकडी जिला अजमेर राज0 पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री गोविन्द सेठिया पुत्र रामस्वरूप सेठिया मैनेजर/पार्टनर मैसर्स दीपक फूड प्रोडक्ट्स ग्राम हलेड जिला भीलवाडा राज0 निवासी जी 247/9 वैभव नगर शास्त्री भीलवाडा पर शास्ति 12,000 (अक्षरे बारह हजार रू0)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.07.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner